

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District
(जिला):

ACB DISTRICT

P.S.
(थाना):

C.P.S Jaipur

Year
(वर्ष):

2025
2. FIR No.
(प्र.सू.रि.सं):

0105

Date and Time of FIR
(एफआईआर की तिथि/समय):

30/04/2025 18:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): सोमवार

Date From
(दिनांक से): 28/04/2025

Date To
(दिनांक तक): 28/04/2025

Time Period
(समय अवधि): पहर

Time From
(समय से): 09:00 बजे

Time To
(समय तक): 18:02 बजे

(b) Information received at P.S.
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date
(दिनांक): 30/04/2025

Time
(समय): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference
(रोजनामचा संदर्भ):

Entry No.
(प्रविष्टि सं.): 002

Date & Time
(दिनांक एवं समय): 30/04/2025 18:50:25 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार):

लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.
(थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 325 किमी

Beat No.
(बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): KAMARA NO.107,, CIRCUIT HOUSE JILA BARAN

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): AMIT ROHADHA

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHAIRUMAL JI ROHADHA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1970

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	709A, PRATAPNAGAR C.A.D.CIRCLE KOTA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	709A, PRATAPNAGAR C.A.D.CIRCLE KOTA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AJAY SINGH		पिता:MANGAL SEN	1. C25B, TRIVENI AAWAS, BORKHEDA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,00,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

5,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार है दिनांक 28.04.2025 को समय 9.00 ए.एम.पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा द्वारा उनके कक्ष में बुलाकर उनके पास उपस्थित अमित रोहडा पुत्र श्री भेरूमल जी रोहडा निवासी-709, ए.प्रताप नगर, सी.ए.डी. सर्किल कोटा मैसर्स अमित कन्स्ट्रक्शन्स एए, श्रेणी पंजीकृत मा.नि.वि.वि कॉन्ट्रेक्टर मोबाईल नम्बर () से मेरा आपसी परिचय करवाया तथा अमित रोहडा द्वारा उनको पेश टायपशुदा प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी अमित रोहडा को साथ लेकर स्वयं के कक्ष में आया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं मेरी फर्म मैसर्स अमित कन्स्ट्रक्शन्स का मालिक हूँ एवं मेरी फर्म के द्वारा सड़क पुल निर्माण सहित अन्य कई प्रकार के सिविल निर्माण कार्य करता हूँ एवं सरकारी ठेके लेता हूँ। कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सभाग कोटा के आदेश क्रमांक 241 दिनांक 21.05.2021 के द्वारा निविदा सूचना संख्या 01/2021-22 जारी की गई, जिसमें बाराँ जिले में मेरमाचाह में चौकी बोरदा तक सड़क की चौड़ाईकरण मय कालीघाट नदी पर बड़ी पुलिया का निर्माण कार्य कराने हेतु निविदा जारी की गई थी। उक्त निविदा में मेरी फर्म की न्यूनतम दर होने के कारण मेरी फर्म को उक्त कार्य का आदेश मिला था, जिसका कार्यदिश संख्या 889 दिनांक 20.09.2021 कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बाराँ से राशि 28,27,80,566/- रु. का जारी किया गया। उक्त कार्य को मेरी फर्म के द्वारा निर्धारित समयावधि में ही उक्त आवंटित राशि 28,27,80,566/- रु की तुलना में राशि लगभग 4,32,66,895/- के अतिरिक्त एवं आधिक्य आईटम विभाग द्वारा हमसे करवा लिये, जिसका आज दिनांक तक भी हमें भुगतान नहीं किया गया है। उक्त कार्य में मेरा करीबन 7 करोड़ रूपयों से भी अधिक का भुगतान दो वर्षों से भी अधिक समय से बकाया चल रहा है। उक्त बिल का भुगतान कराने की एवज में अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बाराँ श्रीमान अजय सिंह उक्त बकाया राशि का 3 प्रतिशत के हिसाब से 20-21 लाख रूपयों की रिश्तत स्वयं के लिये एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गुण नियन्त्रण खण्ड बाराँ श्रीमान हरि प्रसाद मीणा के लिये माँग कर रहा है। उक्त बिल को पास कराने के लिये मैं स्वयं कई बार कार्यालय जा चुका हूँ परन्तु मेरे बिल्स पास नहीं किये जा रहे हैं। मैं मेरे वैध किये गये कार्यों के बदले में अजय सिंह व हरि प्रसाद मीणा को रिश्तत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्तत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। अजय सिंह व हरि प्रसाद मीणा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तथा उनसे मेरा उधार, के रूपयों का भी कोई लेन देन बकाया नहीं है। अतः रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयास मे मामला रिश्तत माँग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्तत माँग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह, हैड कानि नं. 140 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया तथा परिवादी अमित रोहडा को डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चालु व बंद करने व रिकार्ड करने की विधि समझाई। तत्पश्चात, गोपनीय रिश्तत माँग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक से बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने बताया कि श्री अजय सिंह से मेरी मोबाईल पर बात हुई तो उसने मुझे बताया कि वो मुझे आज बाराँ सर्किट हाऊस में मिलेगा तथा उसने मुझे रिश्तत राशि की व्यवस्था करके मिलने के लिए कहा है। चूंकि परिवादी ने बताया है कि आरोपी परिवादी से आज ही बात कर रिश्तत राशि ग्रहण करेगा अतः मन उप अधीक्षक पुलिस ने प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यवाही के क्रम में श्री देशराज पुलिस निरीक्षक को दो स्वतंत्र गवाह लेकर मय एसीबी टीम मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों मय फिनाँलफ्थलीन पाउडर के मय प्राईवेट वाहन से बाराँ आकर मन उप अधीक्षक पुलिस से सम्पर्क करने की हिदायत कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी एवं श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी की कार से बारा कस्बे के लिए रवाना होकर परिवादी के मसुराल के मकान एस.डी. कटारिया शिव दुर्गा निवास कृष्णा नगर जोनल अस्पताल के सामने, कोटा रोड बाराँ पहुँचा तथा परिवादी को गोपनीय सत्यापन हेतु मय श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. के सर्किट हाऊस बाराँ के लिए रवाना किया गया समय 12.45 पी.एम. पर परिवादी मय श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि के वापस आया तथा परिवादी

ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द हालात में मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया तथा बताया कि मैं व नरेन्द्र जी यंहा से रवाना होकर सर्किट हाऊस पहुंचे तथा इनको मैंने मेरी गाडी में छोड़ दिया तथा मैं रिकॉर्डर चालु कर सर्किट हाऊस में गया। वंहा उपस्थित कर्मचारी से बात कर अजय सिंह अधिषाषी अभियंता के कमरा कमरा नम्बर 107 में गया वंहा पर अजय सिंह जी ने मुझे कुछ समय तक बैठाया तथा बाद में मुझसे मेरी फर्म द्वारा किये गये कार्य मेरमाचाह से चौकी बोरदा तक सड़क की चौड़ाईकरण मय कालीघाट नदी पर बड़ी पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात मेरे बिलो को पास करवाने की एवज में स्वयं एवं अन्य अधिकारियों के लिए 20 से 30 पेटी (लाख) रु. की मांग की तथा मेरे द्वारा विनय करने पर 10 पेटी (लाख) रु. आज ही तथा 10 पेटी (लाख) रु. जयपुर पहुंचाने के लिए एक दो दिन में देने के लिए कहा है जो इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड की फर्द प्राप्ति पृथक से बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी से श्री हरिप्रसाद मीणा अधिषाषी अभियंता, गुण नियंत्रण सा.नि.वि., खण्ड बारां से रिश्तत मांग के संबंध में वार्ता करने बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि हरिप्रसाद मीणा आज बारां में उपस्थित नहीं हैं तथा अजय सिंह ने आज ही रिश्तत की मांग की है अजय सिंह को रिश्तत राशि आज नहीं देने पर ये कार्यवाही पूर्ण होने की संभावना नहीं रहेगी। अतः अब हरिप्रसाद मीणा से रिश्तत की संबंध में वार्ता नहीं हो सकती। समय 1.00 पी.एम. पर श्री देशराज गुर्जर पुलिस निरीक्षक, दो स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर मय एसीबी टीम मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों मय फिनॉलफथलीन पाउडर के मय प्राइवेट वाहन से मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आये तथा अवगत कराया, कि निर्देशानुसार मन पुलिस निरीक्षक ने एक तहरीर कार्यालय सहायक अभियंता, कोटा देहात के नाम जारी कर दो स्वतंत्र गवाह साथ लाने हेतु श्री रवि यादव कानि. 285 को मय तहरीर रवाना किया था जो स्वतंत्र गवाहान श्री आदित्य दुपड़ पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता जाति महाजन उम्र 33 साल निवासी जोधपुर स्वीट्स के पीछे गुमानपुरा कोटा हाल वाणिज्य सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता ग्रामीण जे.वी.वी.एन.एल. कोटा मोबाईल नं. [REDACTED] तथा श्री विकास गुप्ता पुत्र श्री दामोदर गुप्ता जाति महाजन उम्र 42 साल निवासी- 131, समृद्धि नगर विस्तार बोरखेडा, कोटा हाल वाणिज्य सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियंता ग्रामीण जे.वी.वी.एन.एल. कोटा मोबाईल नं. [REDACTED] को हमराह लेकर आया तत्पश्चात मालखाने से फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर प्राइवेट वाहन के डेसबोर्ड के रिक में श्री अब्दुल सत्तार कानि. से रखवाया तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के मय स्वतंत्र गवाहन श्री आदित्य दुपड़ एवं श्री विकास गुप्ता, श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158, श्री अभिषेक कानि. 197, श्री रवि कानि. 285, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282, के एसीबी चौकी कोटा से रवाना होकर यंहा पहुंचे हैं। एसीबी टीम मय स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के हाल आवास पर एक कमरे में मुकिम किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा पेश डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता से परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई है। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से बनाई जावेगी, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त करने की फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक से बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात परिवादी श्री अमित रोहडा का स्वतंत्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया तथा अब तक की गई कार्यवाही व होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया जाकर ट्रेप कार्यवाही में साथ रहने की अनुमति चाही तो उन्होंने सहमति दी, जिस पर दोनों गवाहान से परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। परिवादी ने वार्ता में आरोपी से दवाई गोली लेकर शाम तक सर्किट हाऊस में ही मिलने के लिए कहा है। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही परिवादी के बताये समय करीबन 5.30 पी.एम पर किया जाना निश्चित किया। समय 2.30 पी.एम. पर परिवादी श्री अमित रोहडा ने आरोपी को रिश्तत में दी जाने वाली राशि फिनॉलफथलीन पाउडर लगाने हेतु दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री आदित्य दुपड़ व श्री विकास गुप्ता के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपये के 1000 नोट कुल पांच लाख रुपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये तथा बताया कि अजय सिंह ने मुझसे आज ही 10 लाख रुपये मंगाये है किंतु मेरे पास अभी केवल 5 लाख रु. की व्यवस्था हुई है, मेरे आश्वस्त करने पर अजय सिंह ये पांच लाख रुपये ग्रहण कर लेगा। परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटों का विवरण निम्न प्रकार है- क्र0स0 नोटों का प्रकार नोटों के नम्बर 1. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 AS 617589 2. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4 NN 866546 3. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6 BE 849843 4. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 7 UU 131376 5. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 DH 402531 6. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1 CW 186363 7. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5 DD 221565 8. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6 LP 925251 9. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4 PM 815704 10. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0 GT 155112 11. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3 GR 580140 12. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0 TL 304655 13. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 FM 297011 14. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8 RQ 492125 15. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2 EA 471635 16. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0 MB 802924 17. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9 BB 529008 18. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ

[illegible]

[illegible]

7

I.I.F.-I / एकीकृत जाँच फार्म-I

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6ER968386 939. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0WQ530593 940. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8TA169870 941. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3BH351059 942. एक भारत

मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8CW853128 943. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6WT552977 944. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8CF566121 945. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5CP957807 946. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 7EN449014 947. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9NS744281 948. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1KL411136 949. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5KL366731 950. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1LM043427 951. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3MA277370 952. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9DH402137 953. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9AD018440 954. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9PG466202 955. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4QD725194 956. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1LD932954 957. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9BM786275 958. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3QH118051 959. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3WT028425 960. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6PA378421 961. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8PD219641 962. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0NF850838 963. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8DE491963 964. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5LH736613 965. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1AS220384 966. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9CB662818 967. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6DF901701 968. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3MS674255 969. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4DQ059435 970. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3QK486840 971. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 7WE930360 972. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0SR577925 973. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4FL542604 974. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8AP223098 975. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9GR175214 976. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0SG507877 977. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 1NM496518 978. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9SQ957165 979. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6LU818806 980. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4GH673409 981. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2WE120747 982. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2KV958907 983. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3AA201747 984. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9GB222907 985. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 3GT054967 986. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2DF927206 987. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 6BN737988 988. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 0VF329282 989. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4GC795922 990. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 5UC522614 991. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 9CD522866 992. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2WB676949 993. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2GD660744 994. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2WB676922 995. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2LD448161 996. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2QF630413 997. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4RS754876 998. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 2AQ613976 999. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 4KF548468 1000. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का 8WF905934 प्राइवेट वाहन के डैशबोर्ड से श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 के द्वारा फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनॉल्फथीलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉल्फथीलीन पाउडर भलीभांती लगवाया गया। गवाह श्री विकास गुप्ता से परिवादी श्री अमित रोहड़ा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फथीलीन पाउडर लगे नोटों को श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से परिवादी के हरे रंग के फाईल फोल्डर में रखवाकर परिवादी को सुपुर्द कि गई। एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 के फिनॉल्फथीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फथीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। श्री अमित रोहड़ा को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से हाथ लगाये। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को हरे रंग के फाईल फोल्डर में से निकालकर उसे देवें तथा उसके द्वारा रिश्तृत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मन उप अधीक्षक के मोबाईल पर मिसकॉल करके ईशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 को देकर वापस भ.नि.ब्यूरो, कोटा के लिए रवाना किया। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशियों मय ढक्कन को अच्छी तरह साबुन में

धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी में अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की परिवारी के आस-पास नजदीक रहकर श्री अमित रोहडा एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्त के लेनदेन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मेमोरी लगाकर परिवारी को उसमें चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवारी के गले में धागे से लटकाया गया तथा हिदायत दी गई की आरोपी से होने वाली वार्ता को वॉयस रिकार्डर के कार्ड में रिकॉर्ड करें। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान व परिवारी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये फर्द पेशकशी को शामिल फाईल किया गया। समय 05.30 पी.एम.पर श्री देशराज पु. नि. को मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के प्राईवेट वाहन से रवाना कर सर्किट हाऊस बारां के गेट के बायीं साईड में रुक कर सर्किट हाऊस परिसर में आवश्यकतानुसार छुपाव हासिल करते हुए जाते को तैनात करने कि हिदायत कर रवाना किया तथा श्री अमित रोहडा के वाहन से मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. एवं परिवारी श्री अमित रोहडा से रिकॉर्डर चालु करवाकर सर्किट हाऊस बारां के लिए रवाना होकर सर्किट हाऊस बारां परिसर में पहुंचा तथा परिवारी को आरोपी से वार्ता कर रिश्त राशि देने हेतु सर्किट हाऊस के अन्दर भेजा। दिनांक 28.04.2025 समय 6.02 पी.एम.पर गवाहान के समक्ष परिवारी श्री अमित रोहडा ने आरोपी द्वारा रिश्त राशि प्राप्ति का मन उप अधीक्षक पुलिस को मिसकॉल करके पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कॉल कर श्री देशराज पुलिस निरीक्षक मय टीम को सर्किट हाऊस के अन्दर बुलाया तथा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री आदित्य दूण्ड व श्री विकास गुप्ता, ट्रेप पार्टी के सदस्य, श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282, श्री रवि यादव कानि. 285 मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो मय ट्रेप बॉक्स के सर्किट हाऊस बारां के रिसेप्शन पर पहुंचा जहां पर बैठे हुये व्यक्ति श्री अनिल कुमार से पूछा कि अजय सिंह एक्सईएन साहब किस रूम में हैं तो उसने बताया कि वह रूम नम्बर 107 में रुके हुए हैं इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के रूम नम्बर 107 के सामने पहुंचा तथा श्री रवि यादव को अपने मोबाईल में लगे हुए मेमोरी कार्ड में होने वाली कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिये तथा कमरे की डोरबेल बजाई, जिस पर कमरे का दरवाजा एक अर्धे व्यक्ति जिसने चश्मा पहन रखा था एवं काली पेंट पहने हुये था ने खोला मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पूछा तो उसने उसका नाम अजय सिंह बताया इस पर परिवारी को कमरे से बाहर लाकर उससे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बन्द किया तथा उससे पूछा तो बताया कि श्री अजय सिंह ने मेरे दो कार्यों को करवाने की एवज में रिश्त राशि की बात की है तथा आज उसने मेरे एक कार्य को करवाने की एवज में 20 लाख रू. की मांग कर अभी 5 लाख रू. लेकर अपने ब्रीफकेश में रख लिये हैं तथा और रकम मैंने उसको शाम को देने के लिए कहा था इसके बाद मैंने आपको इशारा किया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ताराचंद ने श्री अजय सिंह को आने का मंतव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजय सिंह पुत्र श्री मंगल सेन जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी- सी 25 बी त्रिवेणी आवास, बोरखेडां, कोटा हाल अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां मोबाईल नम्बर- [REDACTED] होना बताया तत्पश्चात श्री अजय सिंह से उसके दोनो मोबाईल को स्वीच ऑफ करवाया गया तथा स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया तत्पश्चात श्री अजयसिंह से परिवारी श्री अमित रोहडा से ली गई रिश्त राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैंने कोई रिश्त राशि नहीं ली है ये ब्रीफकेश भी मेरा नहीं है जब ब्रीफकेश को चेक किया तो उसमें अजय सिंह से संबंधित दस्तावेज तथा पांच-पांच सौ रुपये की नोटों की दस गड्डियां रखी हुई मिली तब श्री अजय सिंह ने बताया कि अमित रोहडा कोटा मेरे साथ जाने वाला था इसलिए इसने ये राशि मेरे ब्रीफकेश में रख दी, इस पर कमरे के गेट के पास खड़े हुए परिवारी श्री अमित रोहडा ने अजय सिंह की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मेरी फर्म के दो तीन साल से करीबन 7 करोड के बिल पेंडिंग चल रहे हैं, उपरोक्त दो कार्यों के लिए डेविऐशन करवाने की एवज में श्री अजय सिंह ने एक कार्य के लिए मुझसे 20 लाख रू. मांगे तथा दूसरे कार्य के लिए पृथक से रकम देने के लिए कहा उपरोक्त डेविऐशन एवं इनकी मांग के क्रम में इन्होंने मुझसे 5 लाख रू. अभी लिये तथा बाकी के मैंने इनको शाम को देने अथवा कोटा दिलवाने बाबत कहा था जिस पर इन्होंने मुझसे 5 लाख रू. लेकर इनके ब्रीफकेश में रख लिये है। परिवारी के कहेनुसार आरोपी ने रिश्त राशि अपने हाथ से स्वयं ब्रीफकेश में रखी है अतः स्वतंत्र गवाहान से ब्रीफकेश में रखे हुये पांच-पांच सौ रुपये की 10 गड्डियां कुल 5 लाख रुपये के पांच- पांच सौ रुपये के नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये, तत्पश्चात ब्रीफकेश में अन्य दस्तावेज:- 1. एक पत्र 2433 दिनांक 24.02.2025 डी.आर.एम कोटा को संबंधित अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड बारां द्वारा हस्ताक्षरित तथा इसके संलग्न छायाप्रति, 2. श्री सोमिल सिंह से संबंधित बायोडाटा की 5 प्रतियां, 3. श्री के.एल. महावर द्वारा हस्ताक्षरित सी.एल. प्रार्थना पत्र, 4. दो सूचियां जिनका लेटरहेड पांच करोड में अधिक कार्य एवं मेजर रोड वर्क कि प्रोग्राम रिपोर्ट की प्रति, 5. शगुनि यात्रा में बुलाये गये बच्चों के नाम की सूची एक प्रति। 6. कारण बताओ नोटिस श्री अजय सिंह के 4 वर्क, 7. एक पत्र 2294 दिनांक 26.03.2025 अति. मुख्य अभियंता मा.नि.वि. संभाग कोटा को संबंधित अधिक्षण अभियंता पथ सा.नि.वि. राज. जयपुर द्वारा हस्ताक्षरित, 8. एक पत्र

2309 दिनांक 26.03.2025 अति. मुख्य अभियंता सा.नि.वि. संभाग कोटा को संबोधित अधिक्षण अभियंता पथ सा.नि.वि. राज. जयपुर द्वारा हस्ताक्षरित, 9.बारा जिले की सड़को की सूची कुल 7 वर्क, 10. सा.नि.वि डिजीजन बारा का नक्षा, 11. बारा जिले सा.नि.वि की सीमांकन का नक्षा, 12. एक पत्र 942 दिनांक 29.03.2025 अजय सिंह को संबोधित संपदा अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा हस्ताक्षरित, 13 वर्ष 2022-23 एवं 23-24 के बजट में घोषित कार्यों की सूचना कुल वर्क 12, 14. एक पत्र 3681 दिनांक 18.03.2025 अति. मुख्य अभियंता सा.नि.वि. संभाग कोटा को संबोधित अधिक्षण अभियंता सा.नि.वि. खण्ड बारा द्वारा हस्ताक्षरित कुल दो वर्क, 15. श्री अजय सिंह की आई.सी.आई.सी आई बैंक एसी न. 68730102541 की चैक बुक जिसमें 8 खाली चेक तथा ट्रांजेक्शन सीट के पृष्ठ पर दो लाख तेरह हजार के चेक नंबर 0004162123 की डिटेल् अंकित की हुई है। 16. मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट फरवरी 2025 की बुकलेट कुल किता 1 से 51 तक, 17. पीले रंग की एक डायरी जो कुल किता 1 से 100 पृष्ठ हैं जिसमें से पृष्ठ संख्या 42 पर हस्तलेख से परिवादी के कार्य मेरमाचाह के संबंध में अंकन हो रखा है तथा डायरी के प्रथम पृष्ठ पर अधिक्षण अभियंता सा.नि.वि. बारा तथा आरोपी का नाम एवं मोबाईल नम्बर आदि अंकित हो रखे हैं तथा डायरी के अन्दर के पृष्ठों पर हस्तलिखित अंकन किया हुआ है, उपरोक्त दस्तावेजों की छायाप्रति करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी ली गई तथा क्रमांक 16 में अंकित बुकलेट को पृथक से लौटाया जायेगा तथा क्रमांक 17 में अंकित डायरी को मूल ही जन्त किया गया। इनके अतिरिक्त मूल दस्तावेज आरोपी के परिजनों को पृथक से मुर्पुद किये जावेंगे 18. एक सफेद लिफाफे में पांच-पांच सौ रुपये के 100 नोट कुल 50 हजार रुपये जिनके बारे में आरोपी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने से उक्त नोटों को लिफाफे सहित बतौर वजह सबूत जन्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी अजय सिंह ने परिवादी से ली गई रिश्त राशि 5 लाख रुपये अपने हाथ से प्राप्त कर अपने ब्रीफकेस में रखना स्वीकार किया है, अतः आरोपी श्री अजय सिंह की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, कमरे में रखी हुई पीने के पानी की पैक बोतल से पानी लेकर दो डिस्पोजल गिलासों में पानी डलवाकर, गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी अजय सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। काम में लिये गये दोनों डिस्पोजल गिलासों को जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी से रिश्त राशि लेकर आरोपी ने अपने ब्रीफकेस में रखे हैं तथा रिश्त राशि आरोपी के ब्रीफकेस में बरामद होने के कारण, कमरे में रखी हुई पीने के पानी की बोतल से पानी लेकर एक नये डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया, ब्रीफकेस के अन्दर के हिस्से को रूई से रगड़कर कर रूई को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क BC-1, BC-2 अंकित किया। काम में लिये गये डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। ब्रीफकेस एवं रूई को सुखाकर पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर थैलियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर ब्रीफकेस की थैली पर मार्क- B अंकित कर सील्ड चिट किया गया तथा रूई की थैली पर मार्क- C अंकित कर सील्ड चिट किया गया परिवादी से प्राप्त किये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड को लेपटोप से कनेक्ट कर वक्त लेनदेन हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो वार्ता में परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई है। तत्पश्चात आरोपी अजय सिंह से परिवादी के कार्य के संबंध में पूछा तो कहा कि इनके कार्य की फाईल कार्यालय में ही हैं, परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने हेतु पृथक से तहरीर जारी की गई। दस्तावेज प्राप्त होने पर शामिल फाईल किये जावेंगे, श्री रवि यादव कानि. से उसके मोबाईल से की जा रही कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बन्द करवाया गया तथा मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकलवाकर सुरक्षित रखा गया। मेमोरी कार्ड की डबिंग पृथक से बनाई जावेगी। आरोपी के आवास की खानातलाशी बाबत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। आरोपी श्री अजय सिंह की तलाशी नियमानुसार स्वतंत्र गवाह श्री विकास गुप्ता से लिवाई गई तो गले में एक सोने जैसी चेन एवं हाथ की अंगुली में एक सोने जैसी अंगूठी जिनका अनुमानित वजन एक तोला, हाथ में एक स्मार्ट घड़ी रेड मी कम्पनी की अनुमानित कीमत करीबन 2500 रु. पहने हुये कपडे पेंट की पीछे की जेब में एक काले रंग का पर्स जिसमें पांच-पांच सौ रुपये के 17 नोट., सौ रु. के तीन नोट, पचास के दो नोट, बीस रु. के दो नोट कुल 8940 तथा एक एस.बी.आई क्रेडिट कार्ड नं. 4377487817598465 अजय सिंह के नाम, एक विभागीय परिचय पत्र सा.नि.वि श्री अजय सिंह का, मनिपाल यूनिवर्सिटी का आउटपास सोमिल मिह का, कोटा मेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमि. की 4 लाख रु.की जमा पर्ची नीतू सिंह की, आई.सी.आई.सी. आई बैंक की जमा पर्ची 2 - 2 लाख रु. की चार अजय सिंह के नाम एवं एक नीतू सिंह के नाम एवं 5 लाख रु. की एक जमा पर्ची नीतू सिंह के नाम, के.डी.ए. की चन्द्रमौली योजना की रसीद संख्या 132 सोमिल सिंह के नाम कुल रकम 11 लाख 805 रु. की सलग्न जमा हेतु प्रारूप, वकील अजय नन्दवाना को दिये गये 2400 रु. लीगल फीस की रसीद, पर्स में मिले समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये तथा चेन व अंगुठी व पर्स में मिले मूल दस्तावेजों एवं घड़ी एवं पैसों तथा

पूर्व से आरोपी से दो मोबाइल लेकर स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया था को पृथक से परिजनो को सुपुर्द किया जावेगा। अब तक कि कार्यवाही से पाया गया है कि परिवारी द्वारा जरिये फर्म किये गये सड़क चौड़ीकरण कार्य एवं पुलिया निर्माण कार्य के बिल डेविएशन करवाने की एवज में एक कार्य के लिए 20 लाख रु. की मांग करने तथा दस लाख रु. आज ही तथा 10 लाख रु. एक दो दिन में देने की कहने तथा दौरान रिश्त लेनदेन परिवारी के अन्य निर्माण कार्य के बिल डेविएशन करवाने की कहने, ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्त राशि 5 लाख रु. आरोपी के ब्रीफकेश से बरामद होने, आरोपी के हाथों के धोवन का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी व ब्रीफकेश के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी अजय सिंह पुत्र श्री मंगल सेन जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी- सी 25 बी त्रिवेणी आवास, बोरखेडा, कोटा हाल अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। फर्द बरामदगी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किये गये। समय 10.00 पी.एम. पर परिवारी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता जिसे दिनांक 28.04.2025 को वक्त रिश्त लेनदेन परिवारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है उक्त वार्ता के मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप में श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवारी व दोनों गवाहान को सुनाया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता में से परिवारी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री अजय सिंह की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्त लेनदेन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 29.04.2025 समय 12.30 ए.एम. पर आरोपी अजय सिंह व परिवारी श्री अमित रोहडा के मध्य दिनांक 28.04.2025 को रिश्त मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 28.04.2025 को रिश्त राशि लेन देन के समय हुई वार्ता में रिकॉर्ड आवाज का एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमूना देने हेतु आरोपी अजय सिंह को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढ़कर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया किब "मैं अपनी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नहीं देना चाहता हूँ"। नोटिस नमूना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.45 ए.एम पर उपरोक्त साक्षीगण के समक्ष आरोपी श्री अजय सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी सी 25 बी त्रिवेणी आवास, बोरखेडा कोटा हाल अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बारां द्वारा परिवारी द्वारा जरिये फर्म किये गये सड़क चौड़ीकरण कार्य एवं पुलिया निर्माण कार्य के बिल डेविएशन करवाने की एवज में एक कार्य के लिए 20 लाख रु. की मांग करने तथा दस लाख रु. आज ही तथा 10 लाख रु. एक दो दिन में देने की कहने तथा दौरान रिश्त लेनदेन परिवारी के अन्य निर्माण कार्य के बिल डेविएशन करवाने की कहने, ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्त राशि 5 लाख रु. आरोपी के ब्रीफकेश से बरामद होने, आरोपी के हाथों के धोवन का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी व ब्रीफकेश के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी अजय सिंह पुत्र श्री मंगल सेन जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी- सी 25 बी त्रिवेणी आवास, बोरखेडा, कोटा हाल अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां का उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, चूंकि इस संबंध में आरोपी से अनुसंधान किया जाना शेष है, आरोपी प्रभावशाली है, जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा धमका कर या अन्य तरीके से प्रभावित कर सकता है एवं अनुसंधान में विपरित प्रभाव डाल सकता है, अतः उपरोक्त कारणों एवं आरोपी की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विकास गुप्ता से लिवाई गई। जामा तलाशी में आरोपी के ब्रीफकेश से रिश्त राशि के अतिरिक्त संदिग्ध राशि 50,000 रुपये दस्तयाब हुई है, जो कब्जे ब्यूरो ली गई। गिरफ्तारी की सूचना कहे अनुसार पृथक से परिजनो को दी गई। समय 1.00 ए.एम.पर परिवारी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता जिसे दिनांक 28.04.2025 को वक्त रिश्त मांग सत्यापन के समय परिवारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है उक्त वार्ता के मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप में श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवारी व दोनों गवाहान को सुनाया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता में से परिवारी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री अजय सिंह की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्त मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल किया गया। समय 5.15 ए.एम.पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवारी श्री अमित रोहडा के समक्ष दिनांक 28.04.2025 को परिवारी श्री अमित रोहडा एवं आरोपी श्री अजय सिंह के मध्य हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता जिसे डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड KDM 32 GB में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 250428_1120 जो 1,15,349 KB की तथा कुल समय 1 घण्टा 22 मिनट 01 सैकण्ड की है तथा दिनांक 28.04.2025 को वक्त रिश्त राशि लेन-देन हुई वार्ता जिसे डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड KDM 32 GB में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 250428_1731, जो 46,688 KB की है तथा कुल समय 33 मिनट 11 सैकण्ड की है। उक्त वार्ताओं को श्री अभिषेक कानि.197 के द्वारा डिजीटल वाईस

रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से कॉपी कर उक्त वार्ताओं के KDM SPEED PRO USB FLASH DRIVE 32 GB कंपनी के चार पेन ड्राइव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राइव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राइव नमूना आवाज के लिये व एक पेन ड्राइव आरोपी के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सीलड मोहर की गई तथा दोनों मेमोरी कार्ड KDM 32 GB में रिकॉर्ड फाईल की हैश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा दोनों मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, दोनों मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैलियों में रखाकर सीलड मोहर कर सभी सीलड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेन ड्राइव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया, तत्पश्चात दिनांक 28.04.2025 को वक्त रिश्त बरामदगी के श्री रवि यादव कानि 285 के मोबाईल में लगे हुये मेमोरी कार्ड KDM 32 GB में बरामदगी की विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, उपरोक्त विडियो रिकॉर्डिंग की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 20250428_18418 जो 29,87,766 KB की है। उपरोक्त फाईल की मेमोरी कार्ड से कॉपी कर लेपटोप से उक्त विडियो रिकॉर्डिंग के KDM SPEED PRO USB FLASH DRIVE 32 GB कंपनी के दो पेन ड्राइव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राइव माननीय न्यायालय के लिये, एक कपडे की थैली मे रखकर सीलड मोहर की गई तथा एक पेन ड्राइव अनुसंधान अधिकारी के लिए लिफाफे मे रखकर शामिल फाईल किया गया तथा मूल मेमोरी कार्ड KDM 32 GB में रिकॉर्ड फाईल की हैश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई, मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैली में रखाकर सीलड मोहर कर थैली पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, तत्पश्चात समय 7.00 ए.एम. पर परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा0नि0वि0 खण्ड बारां के पत्रांक 180 दिनांक 28.04.2025 से परिवादी श्री अमित रोहडा की फर्म मैसर्स अमित कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा किये गये कार्य से संबंधित रिकॉर्ड की प्रमाणित छायाप्रति एवं पत्रांक 129 दिनांक 28.04.2025 से आरोपी श्री अजय सिंह का सेवा विवरण प्राप्त हुआ, जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। अब तक की कार्यवाही से पाया गया है कि दिनांक 28.04.2025 समय 09-00 ए.एम. पर परिवादी श्री अमित रोहडा पुत्र श्री भेरूमल रोहडा जाति सिन्धी निवासी-709, प्रतापनगर, सी.ए.डी. सर्किल कोटा ने कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो में उपस्थित होकर एक टायपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं मेरी फर्म मैसर्स अमित कन्स्ट्रक्शन्स का मालिक हूँ एवं मेरी फर्म के द्वारा सड़क पुल निर्माण सहित अन्य कई प्रकार के सिविल निर्माण कार्य करता हूँ एवं सरकारी ठेके लेता हूँ। कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सभाग कोटा के आदेश क्रमांक 241 दिनांक 21.05.2021 के द्वारा निविदा सूचना संख्या 01/2021-22 जारी की गई, जिसमें बारां जिले में मेरमाचाह से चौकी बोरदा तक सड़क की चौडाईकरण मय कालीघाट नदी पर बड़ी पुलिया का निर्माण कार्य कराने हेतु निविदा जारी की गई थी। उक्त निविदा में मेरी फर्म की न्यूनतम दर होने के कारण मेरी फर्म को उक्त कार्य का आदेश मिला था, जिसका कार्यदेश संख्या 889 दिनांक 20.09.2021 कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बारां से राशि 28,27,80,566/- रु. का जारी किया गया। उक्त कार्य को मेरी फर्म के द्वारा निर्धारित समयावधि में ही उक्त आवंटित राशि 28,27,80,566/- रु. की तुलना में राशि लगभग 4,32,66,895/- के अतिरिक्त एवं आधिक्य आईटम विभाग द्वारा हमसे करवा लिये, जिसका आज दिनांक तक भी हमें भुगतान नहीं किया गया है। उक्त कार्य में मेरा करीबन 7 करोड़ रूपयों से भी अधिक का भुगतान दो वर्षों से भी अधिक समय से बकाया चल रहा है। उक्त बिल का भुगतान कराने की एवज में अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बारां श्रीमान अजय सिंह उक्त बकाया राशि का 3 प्रतिशत के हिसाब से 20-21 लाख रूपयों की रिश्त स्वयं के लिये एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गुण नियन्त्रण खण्ड बारां श्रीमान हरि प्रसाद मीणा के लिये मांग कर रहा है। उक्त बिल को पास कराने के लिये मैं स्वयं कई बार कार्यालय जा चुका हूँ परन्तु मेरे बिल्स पास नहीं किये जा रहे हैं। मैं मेरे वैध किये गये कार्यों के बदले में अजय सिंह व हरि प्रसाद मीणा को रिश्त नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्त लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। अजय सिंह व हरि प्रसाद मीणा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तथा उनसे मेरा उधार, के रूपयों का भी कोई लेन देन बकाया नहीं है। अतः रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्त मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्त मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी श्री अमित रोहडा से दिनांक 28.04.2025 को रिश्त मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी के कार्य को करने एवं करवाने की एवज में 20 लाख रु. की मांग गई तथा 10 लाख रु. आज ही देने के लिए कहा जिस पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौरान ट्रेप कार्यवाही दिनांक 28.04.2025 को परिवादी द्वारा जरिये फर्म किये गये सड़क चौडीकरण कार्य एवं पुलिया निर्माण कार्य के बिल डेविशन् करवाने की एवज में एक कार्य के लिए 20 लाख रु. की मांग करने तथा दस लाख रु. आज ही तथा 10 लाख रु. एक दो दिन में देने की कहने तथा दौरान रिश्त लेनदेन परिवादी के अन्य निर्माण कार्य के बिल डेविशन् करवाने की कहने, ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्त राशि 5 लाख रु. आरोपी के ब्रीफकेश से बरामद होने, आरोपी के हाथों के धोवन का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी व ब्रीफकेश के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होने तथा आरोपी के ब्रीफकेस में मिली सिंदध राशि 50,000 रु. मिलने के संबंध में आरोपी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर संदिग्ध राशि मानते हुये जब्त करने से आरोपी

अजय सिंह पुत्र श्री मंगल सेन जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी- सी 25 बी त्रिवेणी आवास, बोरखेडां, कोटा हाल अधिषाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने में जर्घे फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें पेश है। (ताराचन्द) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, कोटा.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ताराचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री आरोपी अजय सिंह पुत्र श्री मंगल सेन जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी- सी 25 बी त्रिवेणी आवास, बोरखेडां, कोटा हाल अधिषाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगराम मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 454 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 597-600 दिनांक 30-04-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां। 2- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम):

JAGRAM MEENA

Rank

(पद):

अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivan
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/04/2025 19:00:11

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):